

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 66

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2012-2013 | | | बजट 2013-2014 | | | संशोधित 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | |
|--|--------------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|-------------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|--------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| राजस्व | 1960.07 | 287.50 | 2247.57 | 2899.00 | 311.91 | 3210.91 | 2522.00 | 352.09 | 2874.09 | 2969.00 | 374.48 | 3343.48 | |
| पूँजी | 77.80 | 0.10 | 77.90 | 78.00 | 0.80 | 78.80 | 78.00 | 0.80 | 78.80 | 8.00 | 0.80 | 8.80 | |
| जोड़ | 2037.87 | 287.60 | 2325.47 | 2977.00 | 312.71 | 3289.71 | 2600.00 | 352.89 | 2952.89 | 2977.00 | 375.28 | 3352.28 | |
| 1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 3451 | ... | 9.19 | 9.19 | ... | 9.24 | 9.24 | ... | 8.92 | 8.92 | ... | 10.14 | 10.14 |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (मएसएमई) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ऋण सहायता कार्यक्रम | 2851 | 35.00 | ... | 35.00 | 28.50 | ... | 28.50 | 28.50 | ... | 28.50 | 28.50 | ... | 28.50 |
| 3. गुणवत्ता प्रौद्योगिकी सहायता संस्था तथा कार्यक्रम | 2851 | 344.73 | ... | 344.73 | 487.75 | ... | 487.75 | 468.23 | ... | 468.23 | 487.75 | ... | 487.75 |
| 4. अन्य स्कीमें | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 सर्वेक्षण अध्ययन और नीतिगत योजना | 2851 | 0.56 | ... | 0.56 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 |
| 4.02 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना | 2851 | 3.07 | ... | 3.07 | 4.60 | ... | 4.60 | 4.60 | ... | 4.60 | 4.60 | ... | 4.60 |
| 4.03 प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता | 2851 | 58.22 | ... | 58.22 | 90.40 | ... | 90.40 | 130.44 | ... | 130.44 | 116.99 | ... | 116.99 |
| जोड़- अन्य स्कीमें | | 61.85 | ... | 61.85 | 96.00 | ... | 96.00 | 136.04 | ... | 136.04 | 122.59 | ... | 122.59 |
| 5. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम | 2851 | 57.58 | ... | 57.58 | 65.00 | ... | 65.00 | 59.70 | ... | 59.70 | 65.00 | ... | 65.00 |
| 5.02 विपणन सहायता योजना | 2851 | 8.63 | ... | 8.63 | 11.80 | ... | 11.80 | 11.80 | ... | 11.80 | 11.80 | ... | 11.80 |
| जोड़- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड | | 66.21 | ... | 66.21 | 76.80 | ... | 76.80 | 71.50 | ... | 71.50 | 76.80 | ... | 76.80 |
| 6. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना | 2851 | 2.27 | ... | 2.27 | 2.70 | ... | 2.70 | 2.53 | ... | 2.53 | 2.70 | ... | 2.70 |
| 7. विकास आयुक्त (एमएसएमई) | 2851 | ... | 18.74 | 18.74 | ... | 20.34 | 20.34 | ... | 19.33 | 19.33 | ... | 21.21 | 21.21 |
| 8. संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम | 2851 | 30.92 | 83.27 | 114.19 | 49.00 | 90.22 | 139.22 | 49.00 | 85.66 | 134.66 | 49.00 | 93.92 | 142.92 |
| 9. अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण (पूर्व एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम एवं एमएसएमई विकास स्तंभ) | 2851 | 99.34 | ... | 99.34 | 156.00 | ... | 156.00 | 152.60 | ... | 152.60 | 196.00 | ... | 196.00 |
| 10. विपणन विकास सहायता कार्यक्रम | 2851 | 9.61 | ... | 9.61 | 18.25 | ... | 18.25 | 10.30 | ... | 10.30 | 18.25 | ... | 18.25 |
| 11. डाटाबेस को अद्यतन करना | 2851 | 13.22 | ... | 13.22 | 19.44 | ... | 19.44 | 16.80 | ... | 16.80 | 19.44 | ... | 19.44 |
| | 3601 | -0.26 | ... | -0.26 | 0.03 | ... | 0.03 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 |
| | 3602 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 |

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2012-2013 | | | बजट 2013-2014 | | | संशोधित 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| | जोड़ | 12.96 | ... | 12.96 | 19.50 | ... | 19.50 | 16.80 | ... | 16.80 | 19.50 | ... | 19.50 |
| 12. कार्यालय आवास का निर्माण-ग्राम और लघु उद्योग | 4059 | 2.80 | ... | 2.80 | 8.00 | ... | 8.00 | 8.00 | ... | 8.00 | 8.00 | ... | 8.00 |
| 13. एमएसएमई के लिए विशेष योजना | 2851 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14. ऋण एवं वित्त योजनाएं | | | | | | | | | | | | | |
| 14.01 निधियों की निधि | 2851 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.02 उद्यम पूंजी निधि | 2851 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.03 आहत सेवा के लिए सहायता | 2851 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.04 एसएमई एक्सचेंज सहायता योजना | 2851 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़- ऋण एवं वित्त योजनाएं | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15. विपणन और अधिप्राप्ति योजना | | | | | | | | | | | | | |
| 15.01 एमएसएमई के लिए विपणन अवसरचना | 2851 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15.02 क्लस्टरों में विपणन संगठन | 2851 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15.03 एमएसएमई के लिए वैश्विक फुटप्रिंट समर्थकारी बनाना | 2851 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़- विपणन और अधिप्राप्ति योजना | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16. कौशल विकास- वास्तविक एसएमई विश्वविद्यालय | 2851 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17. सांस्थानिक संरचना तथा सुधार योजना | | | | | | | | | | | | | |
| 17.01 उद्यमी ज्ञापन को ऑनलाइन दायर करना | 2851 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17.02 डीसी, एमएसएमई कार्यालयों की पुनः - अभियांत्रिकी और सुदृढीकरण | 2851 | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़- सांस्थानिक संरचना तथा सुधार योजना | | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18. भारत समावेशी नवोन्मेष निधि (पूर्व राष्ट्रीय नवोन्मेष निधि) | 2851 | ... | ... | ... | 45.00 | ... | 45.00 | 50.00 | ... | 50.00 | 45.00 | ... | 45.00 |
| जोड़-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) खादी एवं ग्राम उद्योग | | 665.70 | 102.01 | 767.71 | 987.50 | 110.56 | 1098.06 | 993.50 | 104.99 | 1098.49 | 1054.09 | 115.13 | 1169.22 |
| खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग | | | | | | | | | | | | | |
| 19. खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग | | | | | | | | | | | | | |
| 19.01 खादी उद्योग | | | | | | | | | | | | | |
| 19.01.01 खादी के लिए एमडीए सहित खादी अनुदान | 2851 | 153.88 | 160.77 | 314.65 | 107.56 | 152.30 | 259.86 | 136.09 | 192.17 | 328.26 | 84.93 | 201.98 | 286.91 |
| 19.01.02 खादी (एसएंडटी) | 2851 | 0.24 | ... | 0.24 | 1.24 | ... | 1.24 | 0.80 | ... | 0.80 | 1.24 | ... | 1.24 |
| जोड़- खादी उद्योग | | 154.12 | 160.77 | 314.89 | 108.80 | 152.30 | 261.10 | 136.89 | 192.17 | 329.06 | 86.17 | 201.98 | 288.15 |
| 19.02 अन्य ग्राम उद्योग | | | | | | | | | | | | | |

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2012-2013 | | | बजट 2013-2014 | | | संशोधित 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | |
|---|--------------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|-------------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|--------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| 19.02.01 वीआई अनुदान | 2851 | 44.88 | ... | 44.88 | 66.68 | ... | 66.68 | 47.51 | ... | 47.51 | 61.73 | ... | 61.73 |
| 19.02.02 वीआई (एसएंडटी) | 2851 | 0.59 | ... | 0.59 | 1.24 | ... | 1.24 | 1.24 | ... | 1.24 | 1.24 | ... | 1.24 |
| जोड़- अन्य ग्राम उद्योग | | 45.47 | ... | 45.47 | 67.92 | ... | 67.92 | 48.75 | ... | 48.75 | 62.97 | ... | 62.97 |
| 19.03 खादी कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना (स्वास्थ्य बीमा के नवीन संघटक सहित) | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.03 | ... | 0.03 |
| 19.04 केवीआई क्षेत्र में अवसंरचना तथा कौशल समूह का विकास | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.02 | ... | 0.02 | 0.03 | ... | 0.03 |
| 19.05 वीआई का संवर्धन तथा विद्यमान कमजोर वीआई का विकास (कमजोर VI संस्थानों के पुनरुज्जीवन के लिए नए संघटक सहित) | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.02 | ... | 0.02 | 0.03 | ... | 0.03 |
| 19.06 एक बारगी माफी/निपटान द्वारा पुराने ऋणों को बट्टे खाते डालने हेतु योजना | 2851 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19.07 बाजार संवर्धन (जिसमें निर्यात संवर्धन शामिल है) और प्रचार (विपणन परिसरों/प्लाजाओं के नए संघटक शामिल हैं) तथा आशोधित एमडीए | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.02 | ... | 0.02 | 0.03 | ... | 0.03 |
| 19.08 खादी और VI (एस एंड टी) और एक अनन्य विरासत और हरित उत्पाद के रूप में खादी संवर्धन हेतु योजना (स्पोक) | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.02 | ... | 0.02 | 0.03 | ... | 0.03 |
| जोड़- खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग | | 199.59 | 160.77 | 360.36 | 176.87 | 152.30 | 329.17 | 185.73 | 192.17 | 377.90 | 149.29 | 201.98 | 351.27 |
| ब्याज सन्निधियां | | | | | | | | | | | | | |
| 20. ब्याज सन्निधियां | | | | | | | | | | | | | |
| 20.01 खादी उद्योग | 2851 | ... | ... | ... | 0.10 | 21.25 | 21.35 | 0.10 | 21.25 | 21.35 | 0.10 | 21.25 | 21.35 |
| 20.02 अन्य ग्रामोद्योग | 2851 | ... | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 5.36 | 5.46 | 0.10 | 5.36 | 5.46 | 0.10 | 5.36 | 5.46 |
| जोड़- ब्याज सन्निधियां | | ... | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 26.61 | 26.81 | 0.20 | 26.61 | 26.81 | 0.20 | 26.61 | 26.81 |
| 21. खादी और पोलीवस्त्र के लिए ब्याज सन्निधि पात्रता प्रमाणपत्र | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.01 | ... | 0.01 | 36.57 | ... | 36.57 |
| 22. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान | 2851 | 2.31 | 0.50 | 2.81 | 11.00 | 0.50 | 11.50 | 11.00 | 0.50 | 11.50 | 11.00 | 0.50 | 11.50 |
| 23. पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति-खादी) | | | | | | | | | | | | | |
| 23.01 स्फूर्ति - केवीआईसी | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.02 | ... | 0.02 | 0.03 | ... | 0.03 |
| 23.02 स्फूर्ति | 2851 | ... | ... | ... | 49.92 | ... | 49.92 | 0.50 | ... | 0.50 | 54.00 | ... | 54.00 |

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2012-2013 | | | बजट 2013-2014 | | | संशोधित 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | |
|---|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| 23.03 खादी कामगारों के लिए वर्कशेड योजना | 2851 | 11.36 | ... | 11.36 | 18.00 | ... | 18.00 | 7.37 | ... | 7.37 | 18.00 | ... | 18.00 |
| 23.04 खादी उद्योगों और कामगारों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए योजना | 2851 | ... | ... | ... | 13.50 | ... | 13.50 | 0.10 | ... | 0.10 | 0.46 | ... | 0.46 |
| 23.05 मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढीकरण और विपणन अवसंरचना हेतु सहायता | 2851 | 2.31 | ... | 2.31 | 7.42 | ... | 7.42 | 1.70 | ... | 1.70 | 7.42 | ... | 7.42 |
| <i>जोड़- पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति-खादी)</i> | | <i>13.67</i> | <i>...</i> | <i>13.67</i> | <i>88.87</i> | <i>...</i> | <i>88.87</i> | <i>9.69</i> | <i>...</i> | <i>9.69</i> | <i>79.91</i> | <i>...</i> | <i>79.91</i> |
| 24. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | 2851 | 1252.93 | ... | 1252.93 | 1237.90 | ... | 1237.90 | 1016.62 | ... | 1016.62 | 1234.31 | ... | 1234.31 |
| 25. खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता) | 2851 | ... | ... | ... | 45.00 | ... | 45.00 | ... | ... | ... | 45.00 | ... | 45.00 |
| 26. खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण | 6851 | ... | ... | ... | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 |
| जोड़-खादी एवं ग्राम उद्योग | | 1468.50 | 161.39 | 1629.89 | 1559.87 | 179.91 | 1739.78 | 1223.25 | 219.78 | 1443.03 | 1556.28 | 229.59 | 1785.87 |
| <i>27. कॉयर उद्योग</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 27.01 कॉयर बोर्ड | 6851 | ... | 0.10 | 0.10 | ... | 0.30 | 0.30 | ... | 0.30 | 0.30 | ... | 0.30 | 0.30 |
| 27.01.01 कॉयर बोर्ड योजना (एसएंडटी) | 2851 | 2.31 | ... | 2.31 | 6.30 | ... | 6.30 | 6.30 | ... | 6.30 | 6.30 | ... | 6.30 |
| 27.01.02 कॉयर बोर्ड योजना (सामान्य) | 2851 | 17.44 | 14.97 | 32.41 | 41.20 | 12.70 | 53.90 | 38.21 | 18.90 | 57.11 | 41.20 | 20.12 | 61.32 |
| <i>जोड़- कॉयर बोर्ड</i> | | <i>19.75</i> | <i>15.07</i> | <i>34.82</i> | <i>47.50</i> | <i>13.00</i> | <i>60.50</i> | <i>44.51</i> | <i>19.20</i> | <i>63.71</i> | <i>47.50</i> | <i>20.42</i> | <i>67.92</i> |
| 27.02 कॉयर उद्योगों का आधुनिकीकरण, नवीकरण तथा प्रौद्योगिक उन्नयन | 2851 | ... | ... | ... | 14.40 | ... | 14.40 | 8.64 | ... | 8.64 | 14.40 | ... | 14.40 |
| 27.03 पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति-कॉयर) | 2851 | 0.32 | ... | 0.32 | 0.03 | ... | 0.03 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.03 | ... | 0.03 |
| <i>जोड़- कॉयर उद्योग</i> | | <i>20.07</i> | <i>15.07</i> | <i>35.14</i> | <i>61.93</i> | <i>13.00</i> | <i>74.93</i> | <i>53.16</i> | <i>19.20</i> | <i>72.36</i> | <i>61.93</i> | <i>20.42</i> | <i>82.35</i> |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजना /योजनाओं हेतु प्रावधान | | | | | | | | | | | | | |
| <i>28. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजना /योजनाओं हेतु प्रावधान</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 28.01 अन्य योजनाएं | 2552 | ... | ... | ... | 12.00 | ... | 12.00 | 11.96 | ... | 11.96 | 15.41 | ... | 15.41 |
| 28.02 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना | 2552 | ... | ... | ... | 0.30 | ... | 0.30 | 0.30 | ... | 0.30 | 0.30 | ... | 0.30 |
| 28.03 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड | 2552 | ... | ... | ... | 7.20 | ... | 7.20 | 4.50 | ... | 4.50 | 7.20 | ... | 7.20 |
| | 4552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>जोड़</i> | | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>7.20</i> | <i>...</i> | <i>7.20</i> | <i>4.50</i> | <i>...</i> | <i>4.50</i> | <i>7.20</i> | <i>...</i> | <i>7.20</i> |
| 28.04 विकास आयुक्त (एमएसएमई) | 2552 | ... | ... | ... | 58.00 | ... | 58.00 | 56.00 | ... | 56.00 | 58.00 | ... | 58.00 |
| 28.05 खादी और ग्रामोद्योग | 2552 | ... | ... | ... | 33.72 | ... | 33.72 | 23.93 | ... | 23.93 | 33.72 | ... | 33.72 |
| | 6552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>जोड़</i> | | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>33.72</i> | <i>...</i> | <i>33.72</i> | <i>23.93</i> | <i>...</i> | <i>23.93</i> | <i>33.72</i> | <i>...</i> | <i>33.72</i> |

| | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2012-2013 | | | बजट 2013-2014 | | | संशोधित 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| 28.06 | प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | 2552 | ... | ... | 180.38 | ... | 180.38 | 159.50 | ... | 159.50 | 183.97 | ... | 183.97 | |
| 28.07 | कॉयर उद्योग | 2552 | ... | ... | 6.10 | ... | 6.10 | 3.90 | ... | 3.90 | 6.10 | ... | 6.10 | |
| | जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजना /योजनाओं हेतु प्रावधान | | ... | ... | 297.70 | ... | 297.70 | 260.09 | ... | 260.09 | 304.70 | ... | 304.70 | |
| 29. | सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश | 4851 | 75.00 | ... | 75.00 | 70.00 | ... | 70.00 | ... | 70.00 | ... | ... | ... | |
| 30. | वास्तविक वसूलियां | 2851 | -191.40 | -0.06 | -191.46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| कुल जोड़ | | | 2037.87 | 287.60 | 2325.47 | 2977.00 | 312.71 | 3289.71 | 2600.00 | 352.89 | 2952.89 | 2977.00 | 375.28 | 3352.28 |
| | विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | |
| ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड | 12851 | 70.00 | 354.48 | 424.48 | 70.00 | 308.00 | 378.00 | 70.00 | 308.00 | 378.00 | ... | 372.00 | 372.00 |
| जोड़ | | | 70.00 | 354.48 | 424.48 | 70.00 | 308.00 | 378.00 | 70.00 | 308.00 | 378.00 | ... | 372.00 | 372.00 |
| ग. योजना परिव्यय | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. ग्राम एवं लघु उद्योग | 12851 | 2037.87 | 354.48 | 2392.35 | 2679.30 | 308.00 | 2987.30 | 2339.91 | 308.00 | 2647.91 | 2672.30 | 372.00 | 3044.30 |
| | 2. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | ... | ... | ... | 297.70 | ... | 297.70 | 260.09 | ... | 260.09 | 304.70 | ... | 304.70 |
| जोड़ | | | 2037.87 | 354.48 | 2392.35 | 2977.00 | 308.00 | 3285.00 | 2600.00 | 308.00 | 2908.00 | 2977.00 | 372.00 | 3349.00 |

1. **सचिवालय की आर्थिक सेवाएं:** इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी कार्यालय-व्यय आदि की व्यवस्था की जाती है।

2. **ऋण सहायता कार्यक्रम (ऋण और वित्त):** इस कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक ऋण गारंटी निधि स्कीम प्रचालन में है। इस स्कीम के माध्यम से गारन्टी कवर में संपार्श्विक के बगैर मौजूदा लघु उद्यमों के साथ-साथ नए उद्यमों के लिए 100 लाख रु. तक का ऋण सदस्य उधारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा दी जाती है। इस कार्यक्रम के अधीन पोर्टफोलियो जोखिम निधि के दूसरे घटक में भारत सरकार सिडबी को सूक्ष्म, वित्तपोषण कार्यक्रम के लिए निधियां उपलब्ध कराती है जिसे एमएफआई/एनजीओ से ऋण राशि की अपेक्षित प्रतिभूति जमा के लिए प्रयोग किया जाता है।

3. **प्रौद्योगिकी सहायता संस्थानों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता:** इस कार्यक्रम में ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम, आईएसओ 9000/14001 प्रतिपूर्ति स्कीम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम स्कीम (6 स्कीमें) अर्थात् लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम का कार्यान्वयन, सूलमउ क्षेत्र में आईसीटी टूलों का संवर्धन, सूलमउ के प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन सहायता, इनक्यूबेटरों के माध्यम से एसएमई को उद्यमिता एवं प्रवर्धन विकास हेतु सहायता, सूलमउ क्षेत्र के लिए डिजाइन क्लीनिक

स्कीम, गुणवत्ता प्रवर्धन मानक और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा हेतु सशक्त बनाना शामिल है।

4.01. **सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान:** सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं पर सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए विख्यात स्वतंत्र एजेंसियों को अनुदान दिया जाता है।

4.02. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन का उद्देश्य भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और विदेशी उद्यमों के बीच भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एवं निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी समिथ्रण तथा/अथवा उन्नयन, उनके आधुनिकीकरण के विचार से संवर्धन करना है।

4.03. **प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता:** प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता स्कीम के अधीन तीन राष्ट्रीय संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा, भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी और राष्ट्रीय सूलमउ

संस्थान, हैदराबाद को देश के सभी भागों में संभावित उद्यमियों के प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है (इस स्कीम के अधीन सहायता मौजूदा संस्थानों के सुदृढीकरण के साथ-साथ नए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु भी उपलब्ध कराई जाती है)।

5.01. **निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम:** निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम-इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं उद्यमों को सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक (अधिकतम 40000 रूपए तक) की आर्थिक सहायता दी जाती है जिसकी रेटिंग उनके कार्यनिष्पादन एवं ऋण योग्यता के लिए सूचीबद्ध प्रत्यायित ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा कराई जाती है

5.02. **विपणन सहायता स्कीम:** इस स्कीम के अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विभिन्न घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/बाजारों में प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, गहन अभियानों और अन्य विपणन कार्यक्रमों के आयोजन/भागीदारी द्वारा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों के विपणन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

6. **राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना:** इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य नये उद्यमों की स्थापना तथा प्रबंधन में संभावित ऐसे प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को पथ प्रदर्शन सहायता प्रदान करना है जो विभिन्न प्रक्रियात्मक एवं कानूनी अडचनों तथा उद्यमों की स्थापना एवं संचालन के लिए विभिन्न अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने में लगे हैं।

7. **विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.):** विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने, समन्वयन और मॉनीटरिंग के लिए एक केन्द्रीय निकाय है। विकास आयुक्त केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और इस क्षेत्र के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखता है। यह प्रावधान विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) मुख्यालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

8. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम:** विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय, विकास आयुक्त (सूलमउ) अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबंधन विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमडीपी, ईडीपी) कौशल, कार्यशाला/प्रशिक्षण के लिए प्रावधान भी कवर किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए व्यापार संबद्ध उद्यमिता सहायता और विकास स्कीम भी कवर की जाती है जिसके अधीन सहायता गैर कृषि गतिविधियों में उनके उद्यमिता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

9. **अवसंरचना तथा क्षमता निर्माण पूर्व सूलमउ क्लस्टर विकास कार्यक्रम तथा सूलमउ ग्रोथ पोल (अवसंरचना विकास):** सूलमउ क्लस्टर विकास कार्यक्रम विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय की महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक है। क्लस्टरों के व्यापक विकास के लिए विशेष जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अवसंरचना सहायता को भी जोड़ा गया है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों में बनाए गए उत्पादों को केन्द्रीय स्थानों पर प्रदर्शित करने और बेचने हेतु प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना के लिए महिला उद्यमी के संघों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में औजार कक्ष और तकनीकी संस्थान भी शामिल होते हैं। ये कोलकाता, लुधियाना, अहमदाबाद, औरंगाबाद, इन्दौर, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, जालन्धर, गुवाहाटी और हैदराबाद में स्थित हैं। इन्हें डिजाइन और औजार मोल्ड जिग एवं फिक्चर पूर्ण आदि उत्पादित

करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को तकनीकी उन्नयन और अच्छी गुणवत्ता वाली टूलिंग हेतु इन्डो-जर्मन एवं इन्डो डैनिश के सहयोग से आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम अर्थात् लघु औजार कक्ष शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में तकनीकी संस्थान भी शामिल हैं जो टूल और ड्राई निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण और परामर्श उपलब्ध कराते हैं। सूलमउ प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र जो रामनगर, फिरोजाबाद, मेरठ, आगरा, कन्नौज, मुम्बई तथा हैदराबाद में हैं। ये विशेष समस्याओं का समाधान करने तथा तकनीकी सेवा प्रदान करने, प्रौद्योगिकी विकास एवं उन्नयन करने, जनशक्ति का विकास और विशेष उत्पादन समूह जैसे फाउंड्री और फारजिंग, इलैक्ट्रानिक्स सुगंध तथा सुरस, स्पोर्ट सामान, विद्युत मापन उपकरण और ग्लास में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्पाद विशेष केंद्र हैं। आगरा और चैन्नई स्थित सूलमउ के प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान) कार्य करने के लिए सूक्ष्म और लघु फुटवियर विनिर्माण इकाइयों के लिए फुटवियर उद्योग और सामान्य सुविधा सेवाओं में जनशक्ति विकसित करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं, फुटवियर उद्योग के लिए नई डिजाइन भी विकसित करते हैं।

10. **विपणन विकास सहायता कार्यक्रम (विपणन और प्राप्ति):** अंतर्राष्ट्रीय खुदरा बाजार में उत्पादों के सफलतापूर्वक विपणन के लिए बार-कोडिंग एक अनिवार्य आवश्यकता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादों की बार-कोडिंग करने को प्रोत्साहन देने के लिए बार-कोडिंग के एकवारगी पंजीकरण में लगने वाली लागत के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बार-कोडिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीएसआई इंडिया द्वारा लगाए जाने वाले वार्षिक शुल्क (आवृत्ति) का 75 प्रतिशत भाग भी प्रथम तीन वर्षों तक सब्सिडी के तौर पर प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। इस स्कीम में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उत्पाद पेटेंट प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्यात पैकेजिंग में भी आयोजित किए जाते हैं। इसमें एमएसई की उद्यमिता और प्रबंधन विकास के लिए सहायक सहायता हेतु विक्रेता विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा जागरूकता निर्माण भी शामिल हैं।

11. **डाटाबेस का उन्नयन (संस्थागत संरचना):** इस कार्यक्रम के अधीन इकाइयों की संख्या, रोजगार, वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद हिस्सा/उत्पादन मूल्य, रूग्णता/समापन की सीमा एवं बढ़ा निर्यात, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में वार्षिक सर्वेक्षण और चार वर्षीय गणना के माध्यम से सांख्यिकी और सूचना संग्रहण भी एकत्रित की जाती हैं। इस स्कीम के अधीन महिलाओं के स्वामित्व वाले और/अथवा उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों से संबंधित आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। इसमें जिला उद्योग केन्द्रों के कम्प्यूटरों की भी व्यवस्था है। राष्ट्रीय पुरस्कार (उद्यम एवं गुणवत्ता), लघु उद्यम सूचना और संसाधन नेटवर्क परियोजना, प्रचार और प्रदर्शनी, विज्ञापन और प्रचार तथा सूलमउ टीसी/टीएस इस कार्यक्रम के अन्य घटक हैं। सूलमउ परीक्षण केन्द्र और सूलमउ परीक्षण स्टेशन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है।

12. **कार्यालय आवास का निर्माण - ग्रामीण और लघु उद्योग:** यह क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय आवास के निर्माण की व्यवस्था करता है।

13. **सूलमउ पर विशेष स्कीम:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर कार्यबल की रिपोर्ट, इसके अध्यक्ष श्री टी.के.ए. नायर द्वारा जनवरी, 2010 में माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट सूलमउ के विकास और संवर्धन के लिए रास्ता (रोडमैप) उपलब्ध कराती है। इसने सूलमउ को राहत और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से समयबद्ध पद्धति में प्राप्ति के लिए हाल की आर्थिक मंदी, संस्थागत परिवर्तनों और कार्यक्रम के व्योरे के फलस्वरूप तत्काल कार्रवाई करने के लिए

कार्यसूची की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त देश में उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने और सूलमउ की वृद्धि के लिए उपयुक्त कानूनी और विनियामक ढांचा स्थापित करने के सुझाव दिए हैं। इस उप क्षेत्र को विशेष ऋण देने के लिए सूक्ष्म उद्यमों हेतु विशेष निधि की स्थापना करना, एक सार्वजनिक प्राप्ति नीति शुरू करना, जो नियत समय अवधि में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों से ऋण की वार्षिक मात्रा के कम से कम 20 प्रतिशत के लक्ष्य को अनिवार्य बनाती है एवं 5 वर्ष की अवधि में लगभग 5500 करोड़ रु. के अतिरिक्त सार्वजनिक खर्च का निर्धारण करना, मौजूदा अवसंरचना और संस्थागत स्थापना की कमियों को दूर करने में विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कार्यबल की कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं।

18. **नवाचार निधि सहित भारत:** यह नई स्कीम सूलमउ क्षेत्र के विकास के लिए नवाचार को सहायता प्रदान करने की योजना में शुरू की जाएगी।

19.01.01. **खादी उद्योग:** खादी अनुदान के अधीन बजटीय आवंटन में खादी का विकास संवर्धन, खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं के पुनरूद्धार हेतु वित्तीय सहायता के साथ-साथ, 1.4.2010 से शुरू की गई खादी और खादी उत्पादों की विक्री पर छूट के विकल्प के रूप में खादी के उत्पादन पर आधारित बाजार विकास सहायता नामक नई योजना के लिए प्रावधान, नए उत्पादक के विकास, खादी उत्पादों की डिजाइनिंग एवं बेहतर पैकेजिंग के लिए और खादी कारीगरों का कल्याण, आदि जिसमें खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना शामिल है, के लिए आवंटन और केंद्रीय सीलीवर प्लांट गुवाहाटी (असम) के लिए आवंटन सम्मिलित हैं।

19.01.02. **खादी उद्योग (एसएंडटी):** इस उप-शीर्ष के तहत खादी उद्योगों के लिए केवीआईसी द्वारा की जा रही विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों पर व्यय को पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन का प्रावधान किया गया है।

19.02.01. **अन्य ग्रामोद्योग:** इस उपशीर्ष के अधीन अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदर्शनियों में भागीदारी को आसान बनाने और उचित आईटी सहायता, नए उत्पादों, डिजाइनों के विकास हेतु आवंटन और VI उत्पादों के लिए बेहतर पैकेजिंग, केवीआईसी/केवीआईवी के वर्तमान एवं केवीआईसी/केवीआईवी से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए मानव संसाधन विकास करना, सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, पोलिवस्त्र आदि के उत्पादन पर एमडीए के लिए प्रावधानों के जरिए तकनीकी उन्नयन, प्रचार-प्रसार, विकसित बाजार-पहुंच के माध्यम से ग्रामोद्योग का विकास एवं संवर्धन के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है।

19.02.02. **ग्रामोद्योग (एसएंडटी):** इस उप-शीर्ष के तहत ग्रामोद्योग हेतु केवीआईसी द्वारा किए जा रहे विभिन्न अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों पर हो रहे व्यय के लिए बजटीय आवंटन है।

19.03. **खादी कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना (स्वास्थ्य बीमा के नए घटक समेत):** केवीआईसी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मिलकर अगस्त, 2003 में खादी कारीगरों के लिए खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना नामक एक समूह बीमा की शुरुआत की। यह स्कीम संपूर्ण देश में खादी पॉलीवस्त्र गतिविधियों में संलग्न और खादी संस्थानों से जुड़े हुए कठिन, बुनकरों, कताई पूर्व और बुनाई पूर्व कारीगरों को शामिल करती है।

विस्तृत स्वास्थ्य बीमा के अतिरिक्त घटक के रूप में कारीगरों के वारिसों, बच्चों को प्राकृतिक मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने, आंशिक और स्थायी असमर्थता के मामले में सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के

तहत, कारीगरों के बच्चे (अधिकतम दो बच्चे) जो कक्षा IX से आईटीआई तक अध्ययन कर रहे हैं को अतिरिक्त सुविधा के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

19.04. **केवीआई क्षेत्र में आधार संरचना और कौशल का विकास:** यह स्कीम केवीआई क्षेत्र आदि की आधार संरचना, आईसीटी और कौशल संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईटी, मानव संसाधन विकास और सम्पदाओं तथा सेवाओं को एक जगह एकत्र कर बनाने के लिए प्रस्तावित की गई है।

19.05. **ग्रामोद्योगों का संवर्धन और वर्तमान कमजोर खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों का विकास (कमजोर ग्रामोद्योग संस्थान के पुनरूद्धार के लिए नए घटक समेत):** यह ग्रामोद्योगों के 7 श्रेणियों के संवर्धन से संबंधित वर्तमान व्यय की स्कीमों का समुच्चय होगा जिसमें लगभग 500 कमजोर खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों के पुनरूद्धार पैकेज का एक अतिरिक्त घटक होगा। इसमें बीमा भी शामिल है।

19.07. **बाजार संवर्धन (निर्यात संवर्धन समेत) तथा प्रचार (बाजार परिसर/प्लाजा के नए घटक समेत) तथा संशोधित एमडीए::** यह स्कीम मौजूदा विपणन और प्रचार गतिविधियों के अलावा निर्यातों के प्रयोजन, संवर्धन हेतु उपलब्ध और चिन्हित भूमि पर विपणन प्लाजा/स्थायी प्रदर्शनी परिसर के लिए एक अम्ब्रैला स्कीम होगी। केवीआई क्षेत्र के लिए विश्वसनीय संख्यायिकी/डाटाबेस का विकास सम ईपीसी के रूप में केवीआईसी द्वारा इस योजना के तहत उपयोग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत, लगभग 20 अथवा इतने शीर्ष केवीआई निर्यातकों को गहन तथा विस्तृत हैंड-होल्डिंग सहायता भी दी जाएगी ताकि उन्हें निर्यात में पर्याप्त वार्षिक विकास प्राप्त करके केवीआई निर्यातों में विशेषता हासिल करने के योग्य बनाया जा सके।

इसमें एमडीए जो 01.04.2010 से शुरू किया गया है को खादी/ग्रामोद्योग अनुदान से हटा दिया जाएगा, संशोधित किया जाएगा और इस योजना में विलय किया जाएगा। इस स्कीम में खादी और पॉलीवस्त्र के उत्पादन के मूल्य पर 20 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता शामिल है, जिसे कारीगरों, उत्पादक संस्थाओं तथा विक्री करने वाली संस्थाओं के मध्य 25:30:45 के अनुपात में हिस्सेदारी की जाएगी। यह एमडीए स्कीम विपणन संवर्धन और प्रचार के लिए इस अम्ब्रैला स्कीम के एक भिन्न घटक के रूप में कार्यान्वित की जाएगी।

इसके अलावा, एक नया घटक विपणन परिसरों/प्लाजा के विकास हेतु चिन्हित जगहों पर केवीआईसी/केवीआईवी/केवीआई संस्थानों के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि से लाभ उठाकर विपणन परिसरों और प्लाजा का विकास करने हेतु भी उपलब्ध कराया जाएगा।

19.08. **खादी/ग्रामोद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं एक विशिष्ट विरासतीय और हरित उत्पाद के रूप में खादी के संवर्धन हेतु योजना (एसपीओकेई) (नया घटक):** खादी/ग्रामोद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और काम में नीरसता कम करने, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों में सुधार करने के लिए परियोजनाओं की स्थापना के लिए की गई है और विशिष्ट विरासत तथा हरित उत्पाद (एसपीओके) के रूप में खादी के संवर्धन हेतु योजना दो विभिन्न घटकों के साथ, के द्वारा केवीआई की वस्तुओं की यूएसपी बढ़ाने के लिए विरासत और हरित उत्पादों के रूप में इनका संपूर्ण रूप से संवर्धन करने की व्यवस्था की जाएगी। आवश्यक हैंड-होल्डिंग और अन्य सहायता प्रोत्साहन राशि सहित उन संस्थाओं/एककों को उपलब्ध कराई जाएगी जो आईएसओ प्रमाणन, ईको-प्रमाणन, आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में से किसी में गुणवत्ता प्रमाणन/पंजीकरण आदि प्राप्त करेंगे।

इसके अतिरिक्त, उचित प्रोत्साहन राशि के प्रावधान के जरिए केवीआई क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी/मशीनरी/प्रक्रियाओं/उत्पादों, आदि के विकास और संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। यह नई प्रौद्योगिकी/मशीनरी/प्रक्रियाओं/उत्पादों, आदि के विकास में उद्यमों के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करेगा। प्रोत्साहन राशि नई प्रौद्योगिकी/मशीनरी/प्रक्रियाओं/उत्पादों, आदि के विकास की लागत, आईपीआर, जीआई पंजीकरण, ट्रेडमार्क समुदाय, आदि के लिए आवेदन दायर करने और आवश्यक विधिक सहायता की लागत की एवज में किसी एकमुश्त सहायता के रूप में हो सकती है।

20.01. ब्याज सब्सिडी (खादी): इस स्कीम से आशय खादी के संवर्धन हेतु खादी संस्थाओं को ऋण देने के लिए पूर्व में केवीआईसी को दिए गए सरकारी ऋणों पर हुए ब्याज के स्थान पर सब्सिडी देने से है। यह राशि बही अन्तरण (बुक ट्रांसफर) होती है क्योंकि यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग की खादी ऋण ब्याज देयताओं में समायोजित की जाती है।

20.02. ब्याज सब्सिडी (ग्रामोद्योग): इस स्कीम से आशय ग्रामोद्योग क्षेत्र के संवर्धन हेतु खादी संस्थाओं को ऋण देने के लिए पूर्व में केवीआईसी को दिए गए सरकारी ऋणों पर हुए ब्याज के स्थान पर सब्सिडी देने से है। यह राशि बही अन्तरण (बुक ट्रांसफर) होती है क्योंकि यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग की खादी ऋण ब्याज देयताओं में समायोजित की जाती है।

21. खादी और पॉलिबख के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी): आईएसईसी स्कीम खादी कार्यक्रमों के निधियन का मुख्य स्रोत है। यह मई, 1977 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य वास्तविक निधि अपेक्षा में अंतर पाटने के लिए बैंकिंग संस्थाओं से निधियों का आवागमन और बजटीय स्रोतों से इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। आईएसईसी स्कीम के तहत, संस्थाओं की आवश्यकता के अनुसार रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। संस्था को केवल 4 प्रतिशत भुगतान की आवश्यकता होती है। 4 प्रतिशत से अधिक बैंक को द्वारा भारत किसी ब्याज का भुगतान केवीआईसी के जरिए केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। केवीआईसी/राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी)से पंजीकृत सभी खादी संस्थाएं आईएसईसी स्कीम के तहत वित्तपोषण का लाभ ले सकती हैं।

22. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी): जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा के पुनरुद्धार द्वारा वर्ष 2001 में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) की स्थापना की गई। एमगिरी का उद्देश्य, देश में संपोषणीय और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना और ग्रामीण उद्योग के उत्पादों के उन्नयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करना ताकि वे स्थानीय और वैश्विक बाजारों में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकें।

23.01. स्कीम आफ फंड फार रीजनरेशन आफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (एसएफयूआरटीआई): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कॉयंर बोर्ड 2005-06 से स्कीम आफ फंड फार रीजनरेशन आफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (एसएफयूआरटीआई) नामक कलस्टर-आधारित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत खादी, ग्रामोद्योग और कायर कलस्टर्स को बेहतर उपकरण, सर्व सुविधा केंद्र, व्यवसाय विकास सेवाएं, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और डिजाइन तथा विपणन सहायता आदि उपलब्ध कराके विकास किया जा रहा है। 96 खादी, ग्रामोद्योग और कॉयंर कलस्टर्स का विकास इस योजना के तहत किया गया है।

23.02. स्कीम आफ फंड फार रीजनरेशन आफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (एसएफयूआरटीआई): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कॉयंर बोर्ड 2005-06 से स्कीम आफ फंड फार रीजनरेशन आफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (एसएफयूआरटीआई) नामक कलस्टर-आधारित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत खादी, ग्रामोद्योग और कायर कलस्टर्स को बेहतर उपकरण, सर्व सुविधा केंद्र, व्यवसाय विकास सेवाएं, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और डिजाइन तथा विपणन सहायता आदि उपलब्ध कराके विकास किया जा रहा है। 96 खादी, ग्रामोद्योग और कॉयंर कलस्टर्स का विकास इस योजना के तहत किया गया है।

23.03. खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम: विकास हेतु स्थायी पथ का खाका तैयार करने, आय सृजन और बेहतर कार्य वातावरण के लिए खादी कतिकरों और बुनकरों को सशक्त करने तथा सुविधा प्रदान करने और उन्हें कालने तथा बुनने का कार्य दक्षता पूर्वक करने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम 2008-09 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, वर्कशेडों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता बीपीएल श्रेणी से संबंधित खादी कारीगरों को खादी संस्थानों जिनसे खादी कारीगर जुड़े हुए हैं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

23.04. खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धता के विकास हेतु योजना: इस योजना का उद्देश्य ज्यादा बाजार-संचालित उत्पादन से खादी उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाना और बेकार और पुरानी मशीनरी तथा उपकरण के प्रतिस्थापन और विद्यमान परिचालक मशीनरी उपकरण के नवीकरण सुधार के माध्यम से खादी कारीगरों और संबंधित सेवा प्रदाताओं के लिए स्थायी रोजगार देना है। मंत्रालय ने जुलाई, 2008 से केवीआईसी के जरिए खादी उद्योग तथा कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धता के विकास हेतु योजना शुरू की है। यह योजना 200 ए प्लस और ए श्रेणी खादी संस्थाओं जिनमें से 50 संस्थाएं ऐसी होंगी जो अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित लाभार्थियों द्वारा चलाई जाती हैं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

23.05. वर्तमान कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढीकरण और विपणन अवसंरचना को सहायता: खादी क्षेत्र की घ से ग श्रेणी में लाई गई ग्रस्त/समस्याग्रस्त संस्थाओं के निदान हेतु इसके अलावा जिनका उत्पादन, बिक्री और रोजगार घट रहा है जबकि वे सामान्य श्रेणी प्राप्त करने में समर्थ हैं को आवश्यकता आधारित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और अन्य चिन्हित आउटलेट्स में विपणन अवसंरचना के सृजन को सहायता देने के लिए विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं के अवसंरचना के सुदृढीकरण और विपणन अवसंरचना हेतु सहायता की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत, वित्तीय सहायता विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं को उनकी अवसंरचना को सुदृढीकृत करने और चुनिंदा खादी बिक्री आउटलेट्स के नवीनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई है।

24. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को 11वीं योजना के दौरान पूर्वतः प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) को विलय करते हुए शुरू किया गया। इससे 11वीं योजना के अंत तक लगभग 16.06 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए लगभग 1.64 लाख सूक्ष्म-उद्यमों के सृजन की आशा है। पीएमईजीपी से प्राप्त प्रतिक्रियाएं बड़ी प्रोत्साहनीय हैं। इस स्कीम में युवाओं के मध्य, विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों, को स्वयं उद्यमी बनने में और नई आशाएं सृजित की हैं। बड़ी हुई परियोजना लागत सीमा (लेकिन बड़ी परियोजनाओं के लिए घटे हुए सब्सिडी) के साथ विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों के सृजन हेतु इस स्कीम के उन्नयन

का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्तावित किया गया है कि बारहवी योजना के दौरान 3.39 लाख सूक्ष्म उद्यमों के सृजन के माध्यम से 27.12 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए।

25. **खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (एडीबी सहायता):** एडीबी और केवीआईसी के परामर्श से तैयार किए गए विस्तृत खादी सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी), के साथ तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर राशि का समझौता किया है। इस सुधार पैकेज के अंतर्गत, खादी की वृद्धि समर्थता के साथ खादी क्षेत्र को पुनः उर्जित करना, कारीगरों के कल्याण में वृद्धि और सरकारी अनुदानों पर अपनी निर्भरता धीरे-धीरे कम करके केवीआईसी को अपने आप को समर्थ बनाना प्रस्तावित किया गया है। आरंभ में, कार्यक्रम का क्षेत्रीय संतुलन, भौगोलिक विस्तार और पिछड़े क्षेत्रों के समावेशन की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए 300 खादी संस्थाओं में कार्यान्वयन किया जाएगा।

27.01. **काँयर उद्योग:** योजना (सामान्य)

कायर उद्योग के संपूर्ण विकास संवर्धन हेतु और इस परम्परागत उद्योग में लगे हुए श्रमिकों की जीविका स्थिति में सुधार के लिए कायर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत कायर बोर्ड की स्थापना एक संविधानिक निकाय के रूप में की गई है। कायर उद्योग के विकास के लिए बोर्ड के कार्यकलापों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक अनुसंधान तथा विकास गतिविधियां कराना; नए उत्पादों और डिजाइनों का विकास करना; और भारत तथा विदेश में कायर और उत्पादों का विपणन शामिल हैं। यह उत्पादकों और विनिर्माणकर्ताओं आदि को प्रामियां सुनिश्चित करके; भूसी, कायर फाइबर, कायर धागा के उत्पादकों और कायर उत्पादों के विनिर्माणकर्ताओं के बीच सहकारिता संगठनों को भी बढ़ावा देता है। बोर्ड ने दो अनुसंधान संस्थाओं नामतः सेंट्रल कायर रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीसीआरआई), कलावूर, एल्लम्प और सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ कायर टेक्नोलॉजी (सीआईसीटी), बैंगलूरु को कायर उद्योग के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान गतिविधियां करने के लिए, जो देश में प्रमुख कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों में से एक है, को संवर्धित किया है।

योजना(एसएंडटी)

इस शीर्ष के तहत निधियां कायर बोर्ड की अनुसंधान और विकास कार्यकलाप जो इसके अनुसंधान संस्थान के माध्यम से किए जाते हैं के लिए उपयोग की जाती है। कायर बोर्ड द्वारा की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में, फाइबर को प्राप्त करने की प्रक्रिया में सुधार, प्रदूषण रहित गलाने की प्रक्रिया, गलाने की अवधि में कमी, उत्पादन अवसंरचना का आधुनिकीकरण, उत्पाद विकास, उत्पाद विभिन्नता आदि पर महत्व दिया जाता है। ये परियोजनाएं कार्य में निरसता को कम करने की संभावना, कायर उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और नए उत्पाद/प्रक्रियाएं प्रस्तुत करने को प्रदर्शित करेंगी।

27.02. **काँयर उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन:** यह योजना कत्तियों और अतिलघु क्षेत्र नामक कायर उत्पादन शृंखला में अत्यधिक महत्वपूर्ण लिंक पुनर्जीवित, आधुनिक बनाने और प्रौद्योगिक रूप से उन्नयन करने हेतु 2008-09 में पूर्णतः परिचालित की गई है। यह कायर उद्योग को आधुनिक बनाने की प्रमुख पहल और प्रौद्योगिक रूप से उन्नयन प्राप्त करने का पहला चरण है। यह स्कीम अप्रचलित रैटों/करघों का प्रतिस्थापन और कत्तियों तथा अति लघु घरेलू एककों को वर्कशेड उपलब्ध कराना परिकल्पित करती है जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की आय और उत्पादन में वृद्धि हो।

28. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/ स्कीमों हेतु प्रावधान:** पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु स्कीम-वार प्रावधान रखे गए हैं।